न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 124 /2020

श्रीमति गंगा बाई पुत्री मोहनलालजी पत्नी मेघराजजी जाति गुर्जर आयु 58 वर्ष निवासी सरलाई हा0मु0 सरोदा तह0 जावद जिला नीमच म0प्र0

——प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——विपक्षी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— 1— सुरेन्द्र कुमार औझा — अधिवक्ता वादी
2— पेरोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

दिनांक 31.5.22 31.05.2022

::निर्णय::

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि—

कि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सरलाई प0ह0 कोटडीकलां तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके खाता संख्या 84 के आराजी नं0 357 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नं0 698 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, आराजी नं0 699 रकबा 4.1400 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.2100 हेक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 85 की आराजी नं0 697 रकबा 0.7800 हेक्टेयर स्थित हैं इसी प्रकार खाता संख्या 209 आराजी नं0 574 रकबा 0.8400 हेक्टेयर स्थित हैं इसी प्रकार खाता संख्या 210 की आराजी नं0 46 रकबा 0.6500 हेक्टेयर, आराजी नं0 489 रकबा 0.8700 हेक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 1.5200हेक्टेयर भूमि स्थित हैं।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही हैं वादग्रस्त चारो खाते मे प्रार्थी का नाम मडीबाई पुत्री मोहनलाल जी के रुप मे दर्ज है जबकि प्रार्थीया का मुलतः नाम गंगाबाई है प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र भी गंगाबाई के नाम से बने हुए हैं। प्रार्थीया का नाम मडी बाई जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं वह प्रार्थीया का बचपन का नाम है प्रार्थीया अत्यधिक दुबली पतली होने से स्नेहवश मडी बाई के नाम से बुलाते थे परन्तु प्रार्थीया को आम बोलचाल की भाशा मे नाम गंगाबाई है व प्रार्थीया को गंगाबाई के नाम से ही जाना व पहचाना जाता हैं परन्तु राजस्व कर्मचारियो की त्रृटी की वजह से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गंगाबाई के बजाए मडी बाई दर्ज कर दिया गया, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ हैं। जिस कारण प्रार्थीया को रज्य सरकार द्वारा सहायता राशि,फसलो का बीमा इत्यादि सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड मे अपन नाम मडी बाई के बजाए गंगाबाई दुरुस्त कराना चाहती हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर्ड कर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विपक्षी तहसील निम्बाहेडा द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, तथा प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार करना जाहिर किया, साथ ही तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा ग्राम सरलाई की पर्चा मौका रिपोर्ट ,पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कोटडीकलां द्वारा पेश की गई जिसमें भी यह अंकन किया गया कि मडी बाई पुत्री मेघराज गुर्जर व गंगाबाई पुत्री मेघराज गुर्जर एक ही महिला है जो भी प्रार्थीया के इन्द्राज दुरुस्ती के आवेदन पत्र की ताईद करता हैं। इसलिए मडी बाई पुत्री मेघराज गुर्जर,के बजाए गंगाबाई पुत्री मेघराज गुर्जर नाम तरमीम किये जाने में विपक्षी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो पर आधार कार्ड व पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत सरोदा तह0 जावद जिला नीमच म0प्र0 का प्रमाणिकरण पेश किया है और तहसीलदार निम्बाहेडा के जवाब व पटवारी हल्का कोटडीकलां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उपरोक्त प्रार्थीया की मौजा सरलाई प0ह0 कोटडीकलां तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके खाता संख्या 84 के आराजी नं0 357 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नं0 698 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, आराजी नं0 699 रकबा 4.1400 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.2100 हेक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 85 की आराजी नं0 697 रकबा 0.7800 हेक्टेयर स्थित हैं इसी प्रकार खाता संख्या 209 आराजी नं0 574 रकबा 0.8400 हेक्टेयर स्थित हैं इसी प्रकार खाता संख्या 210 की आराजी नं0 46 रकबा 0.6500 हेक्टेयर, आराजी नं0 489 रकबा 0.8700 हेक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 1.5200हेक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मडी बाई पुत्री मेघराज गुर्जर, के बजाए गंगा बाई पुत्री मेघराज गुर्जर राजस्व रिकार्ड मे अंकित किये जाना सही प्रतित होता हैं किन्तु धारा 136 में गत रेकार्ड में एवं वर्तमान रेकार्ड में आए हुए अंतर को संशोधित किया। वर्तमान प्रकरण में आरम्भ में ही एक ही नांम दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रकरण धारा 136 की नहीं बनता हैं । प्रार्थीया को मोहनलाल के विरासत के नामान्तरण को सक्षम न्यायालय में निरस्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सावित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)